123

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1813-दो/2003 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 25-01-1993 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 136/1985-86 अपील

जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीप्रसाद
ग्राम गोरसरी तहसील रघुराजनगर
जिला सतना, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- राम औतार (मृतक) पुत्र रामप्रताप त्रिपाठी

वारिस

(अ) रामेश्वर प्रसाद (ब) रामस्वरूप
(स) राजकुमार (द) विजयकुमार
(क) चन्द्रभूषण पुत्रगण स्व.राम औतार
सभी निवासी ग्राम मरवा पोस्ट चंदई जिला सतना
(ख) श्रीमती कुन्नी देवी पत्नि शत्रुघन प्रसाद ग्राम
हर्रईवड़ी तहसील सेमरिया जिला रीवा
(ग) श्रीमती जुड़ानिया पत्नि भागवतप्रसाद ग्राम पड़रिया
तहसील सेमरिया जिला रीवा
(घ) श्रीमती राजकुमारी पत्नि प्रेमलाल ग्राम बरा
तहसील उचेहरा जिला सतना मध्य प्रदेश
(ड.) श्रीमती हेमवती पत्नि छोटेलाल ग्राम उनैता
तहसील विरसिंहपुर जिला सतना मध्य प्रदेश

2- चन्द्रभान 3- चुन्नीलाल पुत्रगण रामकरण

4- रामवतार पुत्र मनमोहन

5- सौरवीलाल(मृत) वारिस राजेन्द्रप्रसाद एंव बृजेन्द्रप्रसाद

6- वृजलाल पुत्र लक्ष्मीप्रसाद

7- लल्लू 8- रामचन्द्र 9- भइयन 10- अवधेश

11- रामलाल 12- श्रीपत पुत्रगण सीताराम

13- बाबूराम पुत्र हनुमान

14- रामकिशोर 15- जुगुलकिशोर पुत्रगण श्यामशरण

16- जगलाल पुत्र रामरूप 17- सुखीराम पुत्र प्यारेलाल

18- रामरूप पुत्र हीरालाल 19- रामसोहावन पुत्र रामसुख

20- भगवानदीन 21- परमेश्वरदयाल पुत्रगण रामाधार

22- गिरजाप्रसाद पुत्र अयोध्या 23- बाबूलाल पुत्र रामगोपाल

24- बद्रीप्रसाद 25- रामविशाल 26- रामप्रताप पुत्रगण महादेव

27- तेजभान 28- कृष्णदत्त पुत्रगण रामधनी

सभी ग्राम गोरसरी तहसील रघुराजनगर जिला सतना ------अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री सुनीलसिंह जादौन)

आ दे श

(आज दिनांक 11 -8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क्र0 136/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-1-1993 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक-1 ने नायब तहसीलदार उप तहसील मझगवां को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि मौजा नयागॉव स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1911/5-6(ब) एंव 19145/1-82 का खाता अन्य पक्षकारों के नाम है। बद्रीप्रसाद ने संबत 2012 में मुवलिग 1001/- में भूमि विक्री करके मौके पर कब्जा दे दिया था तब से आज तक आराजी नंबर 1911 के रकबा 2-14 पर एंव 1914 के पूरे भाग 1-82 डि. कुल रकबा 3-96 डि. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर कब्जा चला आ रहा है

जिसे कभी बेदखल नहीं किया गया है। पुराना कब्जा होने से आवेदक भूमिस्वामी हो जाता है इसलिये संहिता की धारा 190, 109, 110 के अंतर्गत नामान्तरण स्वीकार किया जाय। नायव तहसीलदार मझगवॉ ने प्रकरण कमांक 10 अ-46/77-78 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 13-12-1978 पारित किया एंव वादग्रस्त भूमि पर रामऔतार पुत्र रामप्रताप का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 26 अ-6/1978-79 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-11-1985 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 13-12-1978 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 136/ 1985-86 अपील में पारित आदेश दि. 25-1-1993 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर नायव तहसीलदार का आदेश दि. 13-12-1978 स्थिर रखा। अपर आयुक्त, रीवा संभाग के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार उप तहसील मझगवॉ ने प्र0क0 10 अ 46/77-78 में पारित आदेश दि. 13-12-1978 के प्रथम पद की लायन नंबर-4 में इस प्रकार अंकन किया है-

" प्रतिवादी बद्रीप्रसाद ने सम्बत 2012 में मुवलिग 1001)- में उक्त आराजी विकय करके वादी को कब्जा दखल दे दिया है तब से आज तक मेरा कब्जा दखल आ.नं. 1911 के जुज रकबा 2-14 व 1914 के पूरे भाग 1-82 हि. कुल रकबा 3-96 हि. पर कायम चला आ रहा है।

अर्थात भूमि सिकमी (मौरुषी) कास्त पर न दी जाकर विकय हुई है। नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 13-12-1978 के पद चार (2) में इस प्रकार उल्लेखित किया है -

पद चार - **प्रकरण में उपलब्ध लेखी तथा मौखिक साक्ष्यों का मैंने गहन अध्ययन किया। प्रकरण में निम्न तथ्यों की पुष्टि पाई गई है :-**

(2) आवेदक रामऔतार द्वारा जरिया कच्ची बेंची टीप विवादित आराजियों को अनावेदक बद्रीप्रसाद से खरीदा जाना पाया जाता है। कच्ची टीप संबत 2013 की है जबकि वर्तमान में भू राजस्व संहिता 1959 लागू नहीं हुआ था। संहिता के लागू होने के पूर्व ही आवेदक की हैसियत मौरूषी कास्तकार की थी, भले ही पटवारी रिकार्ड में उसका उल्लेख नहीं है।

तहसीलदार के आदेश दिनांक 13-12-1978 में उपरोक्तानुसार उल्लेखित होने का अर्थ यह है कि वादग्रस्त भूमि सिकमी (मौरूषी) कास्त पर न दी जाकर विक्रय हुई है एंव मध्य प्रदेश शासन को देय स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिये संहिता की धारा 190 की आड़ लेकर नामान्तरण कराने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण नायव तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10 अ-46/77-78 में पारित आदेश दिनांक 13-12-1978 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 136/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-1-1993 दोषपूर्ण प्रतीत होते हैं।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि का विक्रयनामा संबत 2012 अर्थात सन 1955 का है । संबत् 2012 सन् 1955 के विक्रीनामा पर से नायव तहसीलदार के समक्ष सन् 1977-78 में (22 वर्ष वाद) रामऔतार ने आवेदन देकर संहिता की धारा 190 सहपठित 109, 110 के अंतर्गत वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण मांगा है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109 इस प्रकार है -

109 - अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी - कोई भी व्यक्ति जो भूमि में अधिकार या हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किये जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छः मास के भीतर पटवारी को मौखिक रूप से या लिखित में करेगा।

रामऔतार ने विक्रयनामा संबत 2012 अर्थात सन 1955 के आधार पर सन् 1977-78 में लनगभग (22 वर्ष वाद) दावा प्रस्तुत कर नामान्तरण की मांग की है तथा यही पक्षकार इसी भूमि पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 190, 110 के अंतर्गत मौरूषी कृषक होने की मांग करते हुये नामान्तरण की मांग कर रहा है , जबकि विक्रय नामा पर से नामान्तरण कार्यवाही एंव मौरूषी कृषक के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही प्रथक प्रथक विषय हैं, इसके वाद भी नायव तहसीलदार मझगवां द्वारा प्र.क्र.10 अ-46/

1977-78 में आदेश दिनांक 13-12-1978 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 136/ 1985-86 अपील में आदेश दिनांक 25-1-1993 पारित करते समय उक्त पर ध्यान न देने में भूल की है, जबकि उपरोक्तानुसार बिन्दु गहन जॉच के विषय हैं एंव पूर्ण जांच एंव छानवीन उपरांत ही संहिता की धारा 190, 109, 110 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जाना था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25-11-1985 पारित करते समय उक्त तथ्यों की छानवीन कराये बिना अपील स्वीकार करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के परीक्षण पाया गया कि तीनों न्यायालयों के आदेश परस्पर पूरक (Pravers of Parsu) न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 136/ 1985-86 अपील में पारित आदेश दि. 25-1-1993 , अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर द्वारा प्रकरण कमांक 26 अ-6/1978-79 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-11-1985 तथा नायव तहसीलदार मझगवॉ द्वारा प्रकरण कमांक 10 अ-46/77-78 में पारित आदेश दिनांक 13-12-1978 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार मझगवॉ की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उपरोक्त विवेचना में आये तथ्यों पर एंव अन्य बिन्दुओं पर पुर्नजॉच करें तथा सभी हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर